78

न्यायालय अध्यक्ष, राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर ॥ म॰प्र॰ ॥

R-1329-III/14

R.m.
10/4/14

किशनलाल तनय स्व॰श्री बसन्ते कुशवाहा आयु वर्ष
निवासी ग्राम महाराजपुरा तहसील व जिला टीकमगढ म॰प्र॰

---- पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1- रामेश्वर दयाल पाठक ॥मृत॥
द्वारा निज उत्तराधिकारीगण
1- दुष्यन्त पाठक तनय स्व॰ रामेश्वर दयाल पाठक
2- राकेश पाठक तनय स्व॰ श्री रामेश्वरदयाल पाठक
3- मनोज पाठक तनय स्व॰श्री रामेश्वर दयाल पाठक
4- सुबोध पाठक तनय स्व॰श्री रामेश्वर दयाल पाठक
सभी निवासीयान बानपुर दरवाजा टीकमगढ तहसील
एवं जिला टीकमगढ ॥ म॰प्र॰ ॥

क्रमांक 1286
21-4-14
रीडर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

2- शासन म0 प्र0 द्वारा कलेक्टर टीकमगढ म॰प्र॰

--- रिस्पो॰/उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण प्रतिकूल आदेश अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ के प्रकरण क्रमांक 28/पुनरी॰/2010-11 मे पारित आदेश दिनांक-- 10/03/2014 से व्यथित होने के कारण जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियम विरुद्ध मनमाने ढंग से पुनरीक्षण बिना समुचित विचारण किये संक्षिप्ततः निरस्त कर देने से व्यथित होने के कारण :-

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

महोदय,

प्रार्थी/पुनरीक्षणकर्ता प्रस्तुत पुनरीक्षण के माध्यम से सादर निम्न प्रकार विनयी है :-

॥1॥ यह कि अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ के प्रकरण क्रमांक 28/पुनरी॰

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग. -1329–तीन–.2012 **जिला टीकमगढ़**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश किशनलाल / रामेश्वर	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3–03–2016	मैने प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के ग्राह्यता पर तर्क सुने तथा अभिलेख का परिशीलन किया। जिस सीमांकन आदेश दिनांक 15.7.2010 के विरूद्ध आवेदक ने कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की थी, उसके विरूद्ध निगरानी ग्राह्य किए जाने के क्या ठोस कारण एवं आधार हो सकते हैं, यह आवेदक ने ना तो कलेक्टर के समक्ष एव ना ही इस न्यायालय में बताए हैं, ना ही इस संबंध में निगरानी मेमो में कोई स्पष्ट खुलासा किया है। इस संबंध में तर्क के दौरान मैंने आवेदक अधिवक्ता से बार–बार पूछा, किन्तु वे ना तो प्रकरण की विषयवस्तु के बारे में साफ–साफ बता पाए, ना ही इस न्यायालय में प्रकरण की ग्राहयता हेतु कोई आधार प्रस्तुत कर पाये। उपरोक्त के प्रकाश में मैं कलेक्टर टीकमगढ़ के आक्षेपित आदेश दिनांक 10.3.14 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाता हूँ और उसे यथावत रखते हुए यह निगरानी आवेदन अग्राह्य करता हूँ। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि.हो। (आशीष श्रीवास्तव) सदस्य	